महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 98वीं बैठक

दिनांक

28 दिसम्बर, 2020

<u>बैठक का स्थान</u>

राजस्थान राज्य स्कुल शिक्षा परिषद्

शिक्षा संकुल,

जयपुर

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 98वीं विशेष बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 98वीं बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11.30 **राजस्थान राज्य स्कुल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री ओम थानवी, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. शिव दयाल सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4. डॉ. चन्द्र प्रकाश कुलश्रेष्ठ (राज्यसरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
5. श्रीमती मंजू देवी, विधायक (विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
6. डॉ0 मोहम्मद नईम, (प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
7. श्री विकास मीणा (प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
8. श्री सोमित्र नाथ झा, (आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के प्रतिनिधि)	सदस्य
9. श्रीमती मोनिका अग्रवाल, (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की प्रतिनिधि)	सदस्य
10. कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित अनुपस्थित रहे</u> ::-

1. डॉ. नगेन्द्र सिंह (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
2. डॉ.(श्रीमती) सीमा पाण्डे (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना-अपना परिचय दिया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय ने कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित 2017 व 2019) की धारा 19 (3) (क) के अन्तर्गत कुलपति चयन समिति में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामांकित सदस्य का नाम (पद, पता, फोन नम्बर, फैक्स नम्बर एवं ई-मेल सहित) निर्देशित करना, जो कि विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं हो ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**सर्वसम्मति से प्रो. जे.पी. यादव, कुलपति, मतस्य विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान), फोन नम्बर 9414362125, ई मेल yadavjp005@gmail.com का नाम प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामांकित सदस्य के रूप में निर्देशित किया गया ।**	
मद सं. 2	<u>अन्य मद कुलपति महोदय की अनुमति से:-</u>	
	1. महाविद्यालयों को दी जाने वाली सम्बद्धता में पारदर्शिता लाये जाने हेतु गठित प्रो. बी.एम. शर्मा समिति की अन्तरिम रिपोर्ट का अनुमोदन करने पर विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**सर्वसम्मति से उक्त अन्तरिम रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया । समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट (Final Report) का अनुमोदन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया तथा उक्त नवीन सम्बद्धता नियमों को सत्र 2021-22 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	
	2. विश्वविद्यालय के प्रश्न-पत्र मुद्रित किये जाने के संबंध में गठित समिति की अन्तरिम रिपोर्ट का अनुमोदन करने पर विचार कर निर्णय करना ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**सर्वसम्मति से उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया गया एवं समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट (Final Report) का अनुमोदन किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	

	3. कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-15/आरटीआई/शोध/मदसविवि/2015/1097-आर/15742-91 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्मिकों के आचरण एवं अनुशासन नियम A-CODE OF CONDUCT 14.Certain acts constituting misconduct शीर्षक के नीचे जोडे गये निम्नांकित प्रावधान क्रमांक (viii) जोड़ा गया था:- **Indiscriminate and impractical demands by anemployee as defined in Rule 7 read with rule (15) of the MDS UNIVERSITY OF AJMERCONDITIONS OF SERVICE ETC OF EMPLOYEES (which includes information (unrelated to one's legitimate genuine interest, public interest, transparency, accountability in the functioning of the employees and eradication of corruption) having a tendency to adversely affet the efficiency of the administration and which may result in the departments and sections of the University getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information under the provisions of RTI Act, 2005.** उक्त प्रावधान को समाप्त किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
	4. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2 (g) एवं 2 (f) व पूर्व में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 27.06.1998 के निर्णय संख्या 04 में पारित "Conduct and Discipline Rules" Ordinance के भाग B-Discipline 1-Classification के बिन्दु संख्या 01 में दिये हुए वर्गीकरण के प्रावधान के अनुपालन में विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी अशैक्षणिक कर्मचारी को शिक्षण कार्य (कक्षाएं लेने सहित) करने पर रोक लगाये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	**संस्थापन**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
	5. छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 है जिसे 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने पर विचार करना ।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति | **कुलसचिव**